न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष : डा0मधु खरे
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 57-तीन/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 18-11-2013 पारित व्दारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग,ग्वालियर प्रकरण कमांक 27/2013-14 अपील

1. खेमराज पुत्र श्रीया जाटव
2. श्रीमती रेखा पत्नि खेमराज जाटव

निवासी ग्राम मारोरा तहसील पोहरी
जिला शिवपुरी म0प्र0 ---आवेदकगण

विरूद्ध

म0प्र0शासन ---अनावेदक

(श्री आर0एस0सेंगर अभिभाषक - आवेदकगण)
(श्री बी0एन0त्यागी अभिभाषक - अनावेदक)

: आदेश पारित :
(दिनांक 02 दिसम्बर 2015)

आवेदकों व्दारा यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षिप्त में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के आदेश दिनांक 18-11-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी के अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षेप में यह है कि आवेदकगण ने पाटनपुर तहसील स्थित भूमि सर्वे क0 10/2'क' रकबा 0.50 है0 को विकय की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन

कलेक्टर शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत किया। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 23-3-2013 के व्दारा आवेदकगण का विक्रय की अनुमति संबंधी आवेदन पत्र निरस्त किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की। आयुक्त ने आदेश दि. 18-11-13 के व्दारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त कर प्रकरण अपर कलेक्टर को इस निर्देश के साथ भेजा कि वह विधिवत् जांच उपरांत गुण-दोषों के आधार पर मामले का निराकरण करे। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक व्दारा यह तर्क किया कि आवेदकगण ने अपनी भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 10/2 क रकबा 0.50 हैक्टर को विक्रय की अनुमति प्राप्त करने हेतु आवेदन अपर कलेक्टर को प्रस्तुत किया था परन्तु अपर कलेक्टर ने बिना जांच अथवा कार्यवाही के प्रथम पेशी में ही आवेदन निरस्त करने में त्रृटि की है। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण की भूमि बंजर एंव असिंचित है जिसमें लागत लगाने के वाद भी फसल का लाभ नहीं मिलता है इसलिये भूमि को विक्रय कर उसके बदले अन्य कृषि योग्य भूमि को कय करने हेतु विक्रय अनुमति चाही गई थी तथा अनुबंध पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, परन्तु अपर कलेक्टर ने आवेदकगण का आवेदन निरस्त करने में त्रुटि की। तर्क में यह भी कहा कि अपर कलेक्टर के अवैधानिक आदेश के विरूद्ध आयुक्त को अपील प्रस्तुत की गई थी, आयुक्त ने अपने आदेश में अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया परन्तु भू. राजस्व संहिता के प्रावधानों में सॅशोधन के वाद भी अपील में आदेश पारित कर प्रकरण को अपर कलेक्टर को जांच हेतु भेजने में त्रुटि की है। जबकि आयुक्त को संहिता के प्रावधानानुसार स्वयं् जांच कर आदेश पारित करना चाहिये था। अतः

निगरानी स्वीकार की जाय।

4/ अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक ने तर्क दिया कि आवेदकगण ने अपनी स्वत्व की संपूर्ण भूमि को विक्रय करने की अनुमति संबंधी आवेदन प्रस्तुत किया था, जिससे वह भूमिहीन हो जाता। इसी कारण अपर कलेक्टर ने आवेदकगण का आवेदन निरस्त किया था। आयुक्त के समक्ष आवेदकगण व्दारा अपील प्रस्तुत करने पर चूँकि प्रकरण में विधिवत् जांच नहीं हुई थी इसलिये आयुक्त ने अपर कलेक्टर को जांच उपरांत गुणदोषों के आधार पर मामले का निराकरण के आदेश दिये है जो उचित है। अतः निगरानी निरस्त की जाये।

5/ उभय पक्ष अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदक व्दारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165 (7)(ख) के अंतर्गत अपनी भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय हेतु अपर कलेक्टर को आवेदन दिया था जिसे अपर कलेक्टर ने निरस्त किया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्व अपील आयुक्त को की गई। आयुक्त ने अपर कलेक्टर के आदेश को इस आधार पर निरस्त किया कि आवेदन पत्र पर तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी जांच प्रतिवेदन प्राप्त कर कार्यवाही करना चाहिये थी। प्रकरण अपर कलेक्टर को विधिवत् जांच उपरांत गुणदोषों के आधार पर निराकरण हेतु वापिस किया । प्रार्थी अभिभाषक का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि अपील में प्रकरण का अपीलीय अधिकारी व्दारा प्रत्यावर्तन नहीं करना चाहिये अपितु स्वयं् गुणदोषों के आधार पर अंतिम रूप से निराकरण करना चाहिये था। अतः आयुक्त का आदेश दिनांक 18-11-13 निरस्त किया जाता है तथा अपील प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि स्वतः विधिवत उभय पक्षों को सुनकर गुणदोषों के आधार पर कार्यवाही करें।

(डॉ0मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर